

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2015/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/

1064

दिनांक:

3.4.19

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:—डायवर्जन ऑफ 2.27 है0 ऑफ फोरेस्ट लैण्ड फोर कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड
फ्रोम हिंगलोट टू मदनाखेड़ी इन राजस्थान इन बारां फोरेस्ट डिवीजन।

संदर्भ:—आपका पत्रांक 1496 दिनांक 05.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा संदर्भित पत्र से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, लखनऊ के पत्रांक 824 दिनांक 15.02.2018 से चाही गयी बिन्दुओं की पूर्ति कर भिजवायी गयी है, जिसका परीक्षण करने पर पाया गया है कि बिन्दु सं. 1 से 4 तक की पूर्ण पूर्ति कर दी गयी है जबकि बिन्दु सं. 5 की पूर्ण पालना नहीं की गयी है, जो निम्नानुसार है:—

उप वन संरक्षक, बारां द्वारा दो योजना 1.30 है0 गैर वनक्षेत्र एवं 1.53 है0 वनक्षेत्र की संलग्न की गई है, जबकि इसमें क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना 2.27 है0 (आवंटित गैर वनभूमि की जिसमें लगाये जाने वाले वृक्ष ही सम्मिलित अर्थात् 1430 पौधे हो) एवं शेष पौधों की योजना परिभ्रांषित वनक्षेत्र में लगाये जाने वाले मॉडल के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र एवं वर्तमान श्रमिक दरों पर आधारित हो, संलग्न की जानी प्रस्तावित हैं।

अतः उक्तानुसार बिन्दु सं. 5 की पूर्ण पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार जैन)

मुख्य वन संरक्षक

(प्रोटेक्शन), अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ 14()2015/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/
प्रतिलिपि:—

दिनांक:

उप वन संरक्षक, बारां को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(गणेश कुमार वर्मा)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर